

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक

उत्तर

प्रदेश।

संख्या:डीजी-आठ-93(03)2020-02

लखनऊ:दिनांक:दिसम्बर 22, 2022

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त पुलिस आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

विषय: कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

कृपया कोविड-19 महामारी संक्रमण के पुनः प्रसार के दृष्टिगत संक्रमण से बचाव हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अपेक्षित है:-

- (1) समस्त पुलिस कार्मिकों को मास्क धारण करने, सेनेटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग हेतु निर्देशित कर दिया जाये।
- (2) समस्त पुलिस कार्मिकों का शतप्रतिशत टीकाकरण (प्रथम व डबल डोज एवं बूस्टर डोज) कराया जाए।
- (3) कमिश्नरेट/जनपदों में उपलब्ध समस्त पब्लिक एड्रेस सिस्टम को चेक कराकर पुनः प्रभावी रूप से क्रियाशील करा लिया जाये। नये पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने हेतु स्थान चिन्हीकरण की कार्यवाही अविलम्ब कर ली जाये। इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से इस मुख्यालय को अवगत कराये।
- (4) इन्टीग्रेटेड कमाण्ड कंट्रोल सेन्टर (ICCC) पर जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए पुलिस कर्मियों को भी तैनात कर दिया जाये।
- (5) भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराये।

2- अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का अपने निकट पर्यवेक्षण में कड़ाई से अनुपालन/अनुश्रवण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(प्रशान्त कुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।